फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी–शंकरलाल　　　　　　　　　　प्रतिवादी– रामनिवास व अन्य

केस संख्या : 233 / 2016　　　**वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

:— निर्णयः—

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील वादी उप0। प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 उप0।

वाद के संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि खसरा नंबर 125 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 126 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा ग्राम कुन्दनपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 3 जबरन आराजीयात पर लगी हुई डोल को तोडने व आराजीयात पर जबरन कब्जा कर रोड डालने पर आमादा है जिससे सुरक्षार्थ प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक होने से प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रकट की।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबालिया जवाबदावा एवं प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति जाहिर की है, न्यायहित में प्रतिवादी की सहमतिनुसार वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 125 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 126 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा ग्राम कुन्दनपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, कब्जा एवं रोड निर्माण ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ....महाडिया.... में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

शंकरलाल

बनाम

रामनिवास व अन्य

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 233/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 125 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 126 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा ग्राम कुन्दनपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, कब्जा एवं रोड निर्माण ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

निज.........X.....मुबलिग.............X.................................बाबत...........................X.................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह...........................X..................फीसदी X........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................का अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/05/2017 को जारी की गई।

दस्तखत................ उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.................... फागी (जयपुर)

मुहर (उपखण्ड अधिकारी, फागी, जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–NIL–		बबत इजराय हुक्मनामा	–NIL–	
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)